सुखराम / बनारसी देवी 61/2018

14/11/18 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली
उपरांत वादी अभि. पक्ष के वाद के निस्तारण
तक अस्थायी प्रतिकारात्मक अस्थायी निषेधाज्ञा के
पालन किये जाने का निवेदन किया।
पत्रावली का अवलोकन किया।
चूंकि मूल वाद बंटवारा के संबंधित है।
जिसमें तात्कालिक जारी कि जाने की है अतः मूल
वाद के निस्तारण तक उभय पक्षकारान को अस्थायी
निषेधाज्ञा के पालन किया जाता है कि विवादित
आराजी ख.नं. 329, 330, 331, 332, व 333
कुल किता 5 कुल रकबा 2.22 हे. तथा ख.नं.
160, 161, 162, 164, 165 व 344 कुल किता 6
कुल रकबा 1.85 हे. तक ग्राम नाजकर खेजड़ी वि
तहसील चाड़ जिला सीकर में राजस्व रिकार्ड की
यथास्थिति व बेचान न करने हेतु पाबंद किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ख
से कमी दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले
न्यायालय में सुनाया गया।